



शोध निर्देशक के रूप में मान्यता हेतु

आवेदक का
नवीनतम
पासपोर्ट साईज
का फोटो

प्रति,

कुलसचिव,
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषय: विषय में शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदन।

महोदय,

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में अध्यादेश क्र.- 45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश अनुसार शोध-कार्य करवाने हेतु विषय में शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान करने की कृपा करें।

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पत्र व्यवहार का पता :
4. मोबाइल नंबर :
5. ई-मेल आई.डी. :
6. शैक्षणिक योग्यता :
7. एम.फिल..... उत्तीर्ण वर्ष संस्था का नाम
8. पी-एच.डी. का विषय अधिसूचना जारी तिथि शोध उपाधि तिथि
9. पी.एच.डी. उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की गई है
(कंडिका 04 से 06 तक प्रत्येक अंकसूची/प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
10. कार्यरत महा. का नाम : शासकीय/अशासकीय
11. पद का नाम : नियुक्ति तिथि
12. नियुक्ति का आधार छ.ग. लोक सेवा आयोग परीक्षा/परिनियम-28/अन्यविषय
13. उपरोक्त कंडिका 07 के अनुसार क्या आपकी नियुक्ति उसी विषय में किया गया है जिस विषय में आपने पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त की है, हॉ/नहीं
14. अध्यापन अनुभव (शोध उपाधि पी-एच.डी. के बाद) : 1. स्नातक स्तर वर्ष
2. स्नातकोत्तर स्तर वर्ष
(अनुभव प्रमाण पत्रों की प्राचार्य से अभिप्राप्ति प्रति संलग्न करें)
15. शोध एवं प्रकाशन : 1. राज्य स्तरीय 2. अंतराष्ट्रीय स्तरीय
(स्तरीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-पत्रों (प्राध्यापक- 05 शोध पत्र, सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक- 02 भोध पत्र) की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) (यूजीसी द्वारा मान्य)
16. प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या : 1.
17. अन्य :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

प्राचार्य

दिनांक :

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

क्र.02

18. शोध निर्देशक की मान्यता हेतु निम्न प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें –
1. 10 वी एवं 12 वी अंकसूची।
 2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर (प्रत्येक वर्ष) की अंकसूचियाँ।
 3. एम. फिल./NET/SLET/अन्य (यदि लागू हो)।
 4. पी-एच.डी. शोध उपाधि एवं अधिसूचना जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 5. अनुभव प्रमाण पत्र (जिस विषय हेतु नियुक्ति की गई है एवं उसी विषय में अध्यापन कार्य कराया जाता है के अनुसार)
 6. यू.जी.सी. द्वारा जारी नवीन मान्य जर्नल सूची अनुसार स्तरीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित- शोध-पत्रों (प्राध्यापक- 05 शोध पत्र, सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक- 02 भोध पत्र) की प्रमाणित छायाप्रति। (ISSN/ISBN/Impact Factor/अन्य विवरण सहित, जो लागू हो।)
 7. महाविद्यालय में नियुक्ति आदेश पत्र की छायाप्रति।

स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र

मैं प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक

विषय महाविद्यालय का नाम

प्रमाणित करते हुए घोषणा करता/करती हूँ कि छ.ग. संघ लोक सेवा आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम- 28/अन्य के प्रावधान अनुसार मेरी नियुक्ति संबंधित महाविद्यालय में विषय हेतु की गई है एवं मेरे द्वारा उक्त विषय में ही अध्यापन संबंधी कार्य कराया जाता है तथा यह भी कि विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक- 45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से अवलोकन किया गया है। यह कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भौति अवगत हूँ। मैं विश्वविद्यालय द्वारा जारी समर्त आदेशों/सूचनाओं/निर्देशों/अधिसूचनाओं/आरक्षण नियमों का पालन करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन किया जाता है या आवेदन पत्र में दिये गये कोई भी विवरण/तथ्य/प्रमाण पत्र मिथ्या पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा मेरा/मेरी शोध निर्देशक की मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्यवाही या अन्य कोई कार्यवाही अथवा विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड दिया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

स्थान :

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

दिनांक :

आवेदक/आवेदिका का नाम

मो. नं.